न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

नान वहीदा बानो वगै0 बनाम शकील वगै0

किस्म मुकदमा....प्रार्थना.................................मुकदमा नं. 23/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12.03.2020	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार जोशी उपस्थित । रिपोर्ट राजस्व लिपिक प्राप्त की गई। वकील प्रार्थीगण को सूना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । विवादित भूमियों के बाबत न्यायालय हाजा में पूर्व से समान पक्षकारान के मध्य वाद (25/2017) एवं प्रार्थना पत्र (18/2017) विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ था जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.01.2020 को निरस्त कर दिया गया था। जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 शकील द्वारा अपनी 8/9 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा इस वाद में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दिया। इस आधार पर वादीगण द्वारा नया वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा में विवादित भूमियों बाबत पूर्व से प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त किया जा चुका है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के तहत रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे एवं निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	